नाबार्ड न्यूजलेटर
खण्ड -21 अप्रैल 2010 संख्या - 1

वित्तीय समावेशन - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में मार्च 2012 तक बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिग सेवाएं प्रदान करने का रोडमैप

माननीय वित्तमंत्री ने वर्ष 2010-2011 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि सभी बैंक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में मार्च 2012 तक बैंकिग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने का रोडमैप तैयार करें. भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के सभी संयोजक बैंकों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों को सूचित किया है कि वे वित्तीय समावेशन प्राप्त करने हेतु मॉनिटरिंग तंत्र के लिए एक रोडमैप तैयार करें ताकि वित्तीय समावेशन प्राप्ति में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और उसे सहायता दी जा सके.

प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और उसकी शाखाओं के नेटवर्क और जिलों में कार्यरत सभी पैक्स के माध्यम से वित्तीय समावेशन हेतु निष्पाद्य रोडमैप तैयार करें. इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के लिए सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा नए खाते खोलने, वित्तीय साक्षरता के लिए योजना, सभी पात्र उधारकर्ताओं को केसीसी,जीसीसी/एससीसी जारी करने को शामिल किया जाए. वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) से सहायता प्राप्त करने के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करके प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं.

राज्य सहकारी बैंक कृपया, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के परिचालन क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं से वंचित जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु उचित रोडमैप तैयार करने में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सहायता करें. प्रत्येक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा तैयार और उसके निदेशक मंडल से विधिवत अनुमोदित रोडमैप को राज्य सहकारी बैंक स्तर पर समेकित कर नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाए.

(सं.सं.एनबी/एफआईडी/01/एफआई-01/2010-11 दिनांक 01 अप्रैल 2010. परिपत्र सं.72/एफआईडी-10/2010)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों (मौकृप) के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड
द्वारा अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराना - वर्ष 2010-11 के लिए नीति

- पुनर्वित्त की मात्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नेट एनपीए के स्तर तथा वर्ष 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अल्पावधि (मौकृप) की ऋण सीमा के उपयोग के स्तर पर निर्भर होगी. तद्नुसार वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्होंने 2009-10 के दौरान अल्पावधि (मौकृप) के लिए स्वीकृत ऋण सीमा में से 90% या उससे अधिक पुनर्वित्त लिया है वे वर्ष 2010-11 में निर्धारित स्तर से 5% अधिक पुनर्वित्त प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए एनपीए के स्लैबों को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है.
- वर्ष 2009-10 के लिए मंजूरी संबंधी निर्धारित मानदंड जैसे अन्य फसलों (ओसी), तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एनपीडीपी) और जनजातियों के विकास (डीटीपी) के लिए ऋण सीमा को पृथक-पृथक दर्शाना, टेनैंट कृषकों/ मौखिक पट्टेदार कृषकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना, एनओडीसी के घाटे के मामले में अतिरिक्त ब्याज इत्यादि ,वर्ष 2010-11 में भी जारी रहेंगे.
- वर्ष 2009-10 की तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य से अधिक पुनर्वित्त के पात्र होंगे. इन्हें नेट एनपीए के मानदण्डों में भी छूट दी गई है. इसके अलावा, पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पात्र पुनर्वित्त की प्रमात्रा के अलावा 5% अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी उप सीमाओं अन्तर्गत सभी प्रयोजनों (यथा ओसी/ ओपीपी/ एनपीडीपी/ डीटीपी) को मिलाकर, समग्र एनओडीसी के आधार पर मंजूर सीमाओं के भीतर आहरण कर सकते हैं. यदि एनओडीसी की किसी उप सीमा में कमी आती है लेकिन समग्र रूप में एनओडीसी उपलब्ध रहती हो तो उस मामले में दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा मूलधन की चुकौती और/या ब्याज की अदायगी में चूक करने के मामलों में, उन्हें चूक के बने रहने की अवधि तक के लिए चूक की राशि पर 10% वार्षिक की दर से नाबार्ड को ब्याज अदा करना होगा. साथ ही, यह भी नोट किया जाए कि ये दंडात्मक ब्याज दर समय-समय निवेश ऋणों के अंतर्गत चूक हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित दंडात्मक ब्याज दर अल्पावधि (मौकृप) के लिए भी लागू होंगी.

2. अल्पावधि (मौकृप) पुनर्वित्त पर 4.5% वार्षिक ब्याज लिया जाएगा (भारत सरकार के संशोधन यदि हो तो, के अधीन). साथ ही, उपर्युक्त 4.5% वार्षिक रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधा केवल ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध होगी जो स्वयं के संसाधनों सहित आधारभूत स्तर पर 7% वार्षिक की दर पर (फसल ऋण `3.00 लाख तक प्रति उधारकर्ता) अल्पावधि (मौकृप) ऋण प्रदान करेंगे.

3. माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा उनके बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार उन किसानों को 2% ब्याज सहायता प्रदान करेगी जो अपना फसल ऋण नियत तारीख को /से पूर्व अदा कर देंगे. इस प्रकार किसानों को `3 लाख तक के फसल ऋण 5% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध होंगे.

(अधिक विवरण के लिए कृपया परिपत्र सं.एनबी.पीसीडी(पॉलिसी)/88/334(पी)/2010-11 दिनांक 20 अप्रैल 2010 परिपत्र सं. 87 /पीसीडी-02 का अनुबंध देखें.)

मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) के वित्तपोषण के लिए पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबीज) के विषय में राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा अल्पावधि (एसटी) पुनर्वित्त का प्रावधान - वर्ष 2010-11 के लिए नीति - मुख्य विशेषताएँ

- वर्ष 2010-11 में अल्पावधि (मौकृप)पुनर्वित्त की मात्रा राज्य सहकारी बैंक के नेट एनपीए के स्तर तथा 2009-10 हेतु अल्पावधि (मौकृप) की ऋण सीमा के उपयोग के स्तर पर निर्भर होगी. तद्नुसार जिन राज्य सहकारी बैंक ने 2009-10 के दौरान अल्पावधि (मौकृप) के लिए स्वीकृत ऋण सीमा में से 90% या उससे अधिक पुनर्वित्त लिया है वे वर्ष 2010-11 में निर्धारित मात्रा से 5% अधिक पुनर्वित्त प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही, राज्य सहकारी बैंकों को अधिक पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नेट एनपीए के स्लैबों को रिस्ट्रक्चर किया गया है.

- वर्ष 2009-10 के लिए मंजूरी संबंधी निर्धारित मानदंड जैसे पात्र जिमस बैंकों के लिए रास बैंक को समेकित ऋण सीमा की मंजूरी, अन्य फसलों (ओसी), तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी), राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एनपीडीपी) और जनजातियों के विकास (डीटीपी) के लिए ऋण सीमाओं को पृथक-पृथक उप-सीमाओं में दर्शाना, धारा 11(1) का अनुपालन न करने वाले रास बैंकों/ गैर-अनुसूचित रास बैंकों को राज्य सरकार की गारंटी के समक्ष ऋण सीमा की मंजूरी इत्यादि, वर्ष 2010-11 में भी जारी रहेंगे.

- वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित परिचालन-संबंधी कुछ मानदंड जैसे पात्र जिमस बैंकों की समग्र अनतिदेय रक्षा राशि (एनओडीसी) के भीतर पुनर्वित्त जारी करना, छोटे और सीमान्त कृषकों को वर्ष दौरान कुल वितरित फसल ऋण का न्यूनतम 30% फसल ऋण प्रदान करना, उन जिमस बैंकों को परिचालन की अनुमति नहीं प्रदान करना जो राज्य सहकारी बैंक के प्रति चूक करना जारी रखे हुए हैं, अनतिदेय रक्षा राशि (एनओडीसी) में कमी की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज प्रभारित करना, वर्ष 2010-11 में भी जारी रहेंगे.

- जिन राज्यों में वैद्यनाथन समिति (वीसी-I) की संस्तुतियाँ स्वीकार कर ली गई हैं और सहमति ज्ञापन निष्पादित हो गये हैं वहाँ कार्यरत धारा 11(1) का पालन न करने वाले रास बैंकों / जिमस बैंकों को ऋण सीमा मंजूर करने के लिए वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित मानदंड वर्ष 2010-11 के दौरान भी जारी रहेंगे.

- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंदमान निकोबार द्वीपसमूह में राज्य सहकारी बैंक बढ़े हुए पुनर्वित्त के पात्र होंगे. इन्हें नेट एनपीए के मानदण्डों में भी छूट दी गई है. इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्य सहकारी बैंक निर्धारित पुनर्वित्त की मात्रा से 5% अतिरिक्त पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

- जिन राज्यों में वैद्यनाथन समिति-I की संस्तुतियों के अनुसार सहमति ज्ञापन निष्पादित कर लिए गए हैं और सहकारी समितियों के अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है, ऐसे मामलों में ऋण सीमा का आवेदन सहकारी समितियों के पंजीयक के माध्यम से प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि, अन्य राज्यों के मामलों में समेकित ऋण सीमा हेतु आवेदन पत्र पूर्व की तरह सहकारी समितियों के पंजीयक से संस्तुत होना चाहिए.

- राज्य सहकारी बैंक द्वारा मूलधन की चुकौती और ब्याज की अदायगी में चूक करने के मामले में, उन्हें चूक के बने रहने की अवधि तक के लिए चूक की राशि पर 10% वार्षिक की दर से नाबार्ड को ब्याज अदा करना होगा. ये दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन होंगी. साथ ही यह भी नोट किया जाए कि समय समय पर नाबार्ड द्वारा निवेश ऋणों के अंतर्गत निर्धारित दंडात्मक ब्याज दरें, अल्पावधि (मौकृप) के लिए भी लागू होंगी.

2. यह आशा की जाती है कि नाबार्ड से रियायती पुनर्वित्त सुविधा और बैंक के स्वयं के योगदान पर भारत सरकार से मिलने वाली ब्याज सहायता (सब्वेनशन) से बैंक किसानों को वर्ष 2010-11 के दौरान 7% वार्षिक ब्याज दर पर रु. 3.00 लाख तक का फसल ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति में होंगे. नाबार्ड से 4% प्रति वर्ष ब्याज दर (भारत सरकार के निर्देश के अनुसार) की पुनर्वित्त सुविधा केवल ऐसे बैंकों को उपलब्ध होगी जो स्वयं के संसाधनों सहित किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर पर `3.00 लाख तक के फसल ऋण प्रदान करेंगे.

3.माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि भारत सरकार उन किसानों को 2% ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सब्वेंशन) प्रदान करेगी जो निर्धारित चुकौती तारीख को उससे पूर्व अपने फसल ऋण लौटाएंगे. इसके फलस्वरूप वर्ष 2010-11 में किसानों को `3 लाख तक के फसल ऋण, 5% वार्षिक ब्याज दर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा.

(अधिक विवरण के लिए कृपया परिपत्र रा.बैं.पीसीडी(पॉलिसी)/ 86 / ए.1(जन.)(आरपी)/ 2010-11 दिनांक 20 अप्रैल 2010 परिपत्र सं. 86 /पीसीडी - 01 /2010 परिपत्र सं.एनबी.186/पीसीडी-01/2010 के अनुबंध देखें)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए ऋण लक्ष्य

भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगर योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए ऋण संवितरण लक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया है. राज्य-वार लक्ष्यों को वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा आबंटित किया जाएगा.संसाधनों, ग्रामीण / अर्ध-शहरी शाखाओं की संख्या आदि स्वीकार्य मानदंडों के आधार पर बैंकों के लिए अलग-अलग लक्ष्यों को अंतिम रूप देने का कार्य भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियाँ करेंगी ताकि प्रत्येक बैंक, एक समग्र बैंक के रूप में लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में हो सके.

(विस्तृत जानकारी के लिए कृपया परिपत्र राबैं.एमसीआईडी/ 175 /एसजीएसवाई 2-बी/2010-11 दिनांक 30 अप्रैल 2010 परिपत्र सं. 91 /एमसीआईडी- 04 /2010 के अनुबंध देखें)

सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ) - सीडीएफ के अंतर्गत मंजूरी हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन

सीडीएफ के अंतर्गत मंजूरी हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन (जो तुरन्त लागू होगा) में संशोधन निम्नानुसार है :-

(रुपये लाख में)

मंजूरीकर्ता प्राधिकारी	मंजूरी देने के लिए मौजूदा शक्तियाँ	मंजूरी देने के लिए संशोधित शक्तियाँ
क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (महाप्रबंधक)	शून्य	1 तक (*)
क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (मुख्य महाप्रबंधक)	शून्य	2 तक (*)
मुख्य महाप्रबंधक(आईडीडी) प्रका	शून्य	2 से 3 (*)
कार्यपालक निदेशक (आईडीडी)	1 तक	3 से 5
प्रबंध निदेशक	1 से 5	5 से 15
अध्यक्ष	5 से 10	15 से 25
प्रबंध समिति	10 से अधिक	25 से अधिक

(*) बजट आबंटन / परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की अनुपालना के अध्यधीन और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित परामर्शी समिति जिसमें प्रभारी अधिकारी और आईडीडी से इतर विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी (उप महाप्रबंधक या उनसे ऊपर के) शामिल होंगे, की विशिष्ट सिफारिशों पर आधारित. इसी प्रकार,प्रधान कार्यालय के लिए परामर्शी समिति में मुख्य महाप्रबंधक, आईडीडी और आईडीडी से दो अधिकारी (उप महाप्रबंधक या उनसे ऊपर के) शामिल होंगे.

(संदर्भ सं.एनबी.प्रका.आईडीडी/19 /सीडीएफ 64/ 2009-10 दिनांक : 5 अप्रैल 2010 परिपत्र सं.80 /आईडीडी - 06 /2010)

रजिस्ट्रार, सहकारी समिति और राज्य स्तरीय कार्यदल के साथ बैठक का आयोजन

यह स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्रार सहकारी समिति के साथ बैठक करने से संबंधित अनुदेश राज्य स्तरीय कार्यदल के गठन के पहले जारी किए गए थे. राज्य स्तरीय कार्यदल एक व्यापक मंच है जहाँ

सहकारी संस्थाओं की सुदृढता से संबंधित मुद्दों पर अनिवार्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है इसलिए संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के साथ छमाही बैठक की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती. अत: पिछले अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे आगे से रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के साथ अलग से बैठक न करें. तथापि, यदि क्षेत्रीय कार्यालय के मतानुसार पर्यवेक्षण से जुड़े कुछ ऐसे विशिष्ट और विशेष मुद्दें / कार्यसूची मदें हों जिनपर कार्यदल में विचार-विमर्श नहीं किया गया हो और उनमें रजिस्ट्रार, सहकारी समिति का सहयोग लेना नितांत अनिवार्य और अपरिहार्य हो तो क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता के आधार पर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति के साथ अलग से बैठक कर सकता है.

(संदर्भ सं.एनबी.डॉस.एचओ.पॉल / 29/ जे -1/ /2010-11 दिनांक 13 अप्रैल 2010 परिपत्र सं. 82 /डॉस 10 /2010)

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 22(3)(क) और धारा 22(3)(ख) का अनुपालन - भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित लाइसेंसिंग मानदण्ड
संशोधित मानदण्ड निम्नानुसार है :

क) लाइसेंस जारी करने के लिए जिन विषयों पर खास ध्यान दिया जाता था उनमें परिवर्तन किया गया है और अब इसके लिए सीआरएआर (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात) की न्यूनतम आवश्यकता 4% और अधिक है. इसके अलावा, इस संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन पर ध्यान दिया जाए और पिछले एक वर्ष के दौरान जब तब चूक होने के मामलों पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए.
ख) अधिनियम की धारा 11(1) / 22(3)(क) का अनुपालन पूर्व की ही तरह, इस मामले में मुख्य निर्णायक मुद्दा होगा.
ग) उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) का अनुपालन किया गया या नहीं यह निर्णय करते समय मुख्य आधार प्रभावी आंतरिक जाँच और नियंत्रण प्रणाली को माना जाए जिसके न रहने से बैंक में बड़ी धोखाधड़ी की संभावना होती है.
घ) यदि बैंक अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण पर जारी किए गए दिशानिर्देशों की मुख्य प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं करता या उनका अनुपालन आंशिक रूप से करता है तो यह माना जाए कि उसने बी.आर.अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 35(क) का उल्लंघन किया और उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) का अनुपालन नहीं किया.

2. इसके अलावा, कुछ पक्ष जिनके बारे में पूर्व में यह माना जाता था कि उनसे उक्त अधिनियम की उक्त धारा का अनुपालन हुआ है, उन्हें अब ऐसी परिचालनगत चूक माना जाए जिसे बैंक द्वारा समय पर उचित कार्रवाई करके सुधारा जा सकता है.

ये निम्नानुसार हैं :
क) धारा 9 का अनुपालन - गैर-बैंकिंग आस्तियों का निपटान

ख) कुछ सहकारी बैंकों के पास बड़े भवन होते हैं जिसका कुछ भाग वे किराए पर दे देते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पूरे भवन का अधिकांश भाग बैंक द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हो और उसका कुछ भाग ही किराए पर दिया गया हो, तो इसे उक्त अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन न माना जाए.

ग) धारा 19 का अनुपालन - अन्य सहकारी संस्थाओं में निवेश

घ) धारा 35(क) के साथ पठित धारा 21 का अनुपालन - स्टाफ की जमाराशियों पर 1%अतिरिक्त ब्याज देते समय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे संबधित स्टाफ से यह घोषणापत्र प्राप्त करें कि उनके द्वारा बैंक में जमा की गई धनराशि वास्तव में उनकी अपनी है.

ड) अनर्जक आस्तियों का स्तर

च) आंतरिक जाँच और नियंत्रण प्रणाली

(अधिक विवरण हेतु संदर्भ सं.राबैं.डॉस.एचओ.पॉल./453/जे.1/ 2010-11 दिनांक :30 अप्रैल 2010 परिपत्र सं.92 /डॉस 12 / 2010 देखें)

सम्पादकीय बोर्ड- एस के मित्रा,अमरेश कुमार,पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए **बी.जयरामन** द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*